



# बोम्मई दे रहे भड़काऊ बयान, सांप्रदायिक मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने में हो रहा भेदभाव : सिद्धारमैया

बैंगलुरु, 26 दिसम्बर (एजेन्सी) कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में शून्यकाल के दौरान मोरल पुलिसिंग के मुद्दे पर चर्चा करते हुए यह आरोप लगाया। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने चकित होते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ही भड़काऊ बयान देंगे तो नैतिक पहरेदारी (मोरल पुलिसिंग) कैसे रुकेगी। इस दौरान राज्य के पूर्व सीएम ने यह आरोपी भी लगाया कि मुख्यमंत्री बोम्मई सांप्रदायिक घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने में भी भेदभाव कर रहे हैं।

चर्चा के दौरान कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग के बढ़ते मामलों के सांप्रदायिक द्रेष्टा का रूप लेने पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के तीर्य इलाकों में हुई हत्याओं का भी जिक्र किया। इससे पहले, विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री यू. खादर ने यह मुश्वां उत्तरा। उन्होंने कहा कि दक्षिण क्रिकेट जिले के सुरक्षक शहर में शुक्रवार रात 45 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड का संबंध नैतिक



पहरेदारी (मोरल पुलिसिंग) से हैं।

विधानसभा में मोरल पुलिसिंग की घटनाओं पर चर्चा के दौरान उन्होंने बवरंग दल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नैतिक पहरेदारी अधिकतर दक्षिणांशी संगठन बवरंग दल द्वारा की जा रही है। इस दौरान उन्होंने यह दावा भी किया कि जब भी मुख्यमंत्री दक्षिण क्रिकेट में मंगलतुरु जाते हैं उसके बाद वहां हत्या होती है। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि जब नैतिक पहरेदारी का समर्थन किया जाएगा तो पुलिस और कानून की कानून संरक्षण के बिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह पहली बार नहीं है जब सिद्धारमैया ने नैतिक पहरेदारी (मोरल पुलिसिंग) को लेकर

सरकार के बिलाफ हल्का बोला हो, इससे पहले हाल ही में उन्होंने कहा था कि दक्षिणांशी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही नैतिक पहरेदारी (मोरल पुलिसिंग) को सीएम प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके कारण यह मंगलतुरु शहर और उसके बाहरी इलाकों में है। इस दौरान उन्होंने यह दावा भी किया कि जब भी मुख्यमंत्री दक्षिण क्रिकेट में है तो हम अपाधिकों को मुआवजा नहीं दे सकते। पीड़ित अलग होता है और अपाधिकी अलग। अगर कोई पीड़ित है तो सरकार उसे मुआवजा देती है, लेकिन कोई विभिन्न अपाधिकों में संलिप्त है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आगे अपराध होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, हमने कभी किसी नैतिक पहरेदारी का समर्थन नहीं किया है।

## सलमान खुशीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से की, बोले- जहां वे नहीं पहुंचते, हम खड़ाऊ लेकर जाते हैं

अमरोहा, 26 दिसम्बर (एजेन्सी)। अमरोहा के गोजरौला में कांग्रेस नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुशीद व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पर देश के बांटवरे का आरोप वह पार्टी लगा रही है, जिसके किसी भी नेता ने देश की आजादी के लिए एक डंडा तक नहीं खाया। हमको दूर हाल में आजादी चाहिए थी, इसलिए दुखी मन से विभाजन का निष्पय स्वीकार करना पड़ा।

कांग्रेस नेता सलमान खुशीद ने भारत जोड़ी यात्रा कर रहे सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है।

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुशीद और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सोमवार को गोजरौला पहुंचे उन्होंने हसननुर

मार्ग पर एक मैरिज हाल में प्रेस वार्ता करते हुए तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। इसी तरह उनके खड़ाऊ लेकर वह पार्टी लगा रही है, जिसके किसी नेता ने अंग्रेजों से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए एक डंडा तक नहीं खाया और तो और 25 साल तक देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से परहेज किया। हमको देश के विभाजन का दुख है, लेकिन किसी भी हालत में आजादी चाहिए थी। इसलिए मजबूरी में बांटवरे को मंजूर करना पड़ा। पूर्व विदेश मंत्री ने भारत पर देश के लोगों का मन बांटने का आरोप लगाया। कहा कि जब देश के लोगों को जाति, समाज और समूह में बांट दिया जाएगा।

वर्ष 2023 में काशी और मथुरा विवाद के भी सुलझने के आसार

के अधिवेशन में यह फैसला किया गया कि भाजपा राम जन्मभूमि अंदोलन का खुल कर समर्थन करेगी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए चलाए जा रहे हैं। यह भाजपा के इसका होने लगा तो वहां दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ अय्य राजनीतिक दलों की गोलबंदी भी तेज हो गई।

राम मंदिर आंदोलन को चलाने के कारण एक समय पर अकाली दल और शिवसेना को छोड़ कर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर भाजपा को देश की राजनीति में अशुद्ध तक बना दिया था और इसी आंदोलन की वजह से जरिए ही होने जा रहा है। मथुरा की स्थानीय अदालत ने 24 दिसंबर को काशी के ज्ञानवापी की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराकर और नक्शा बनाकर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

मथुरा की अदालत के निर्देश का स्वागत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने इस विवाद के समाधान की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस सर्वे से सच सामने आ जाएगा और इससे अदालत को भी सही फैसला सुनाने में आसानी होगी। विविध नेता ने काशी और मथुरा दोनों ही मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मथुरा के व्यायालय ने यह



## Gram Prashasan Kendra

### 15-Yangten Gram Panchayat Unit West Sikkim

Memo No. 64/NIT-Yangtey/GPK

Date: 20/12/2022

#### NOTICE INVITING TENDER

For and on behalf of the Government of Sikkim, Sealed tenders in percentage basis are invited for the works mentioned below from the appropriate Class (IV Grade) of registered contractors enlisted under Sikkim Public Works Department, **Vide notification No.: 66/R&B/PWD/Sec dated: 18/01/2021** through competitive bidding within the jurisdiction of Lower Yangtey Ward no 2 under 15 Yangtey GPU under 02 Yangthang Constituency, Gyalshing, Sikkim where the work is to be executed to reach the office of Gram Prashasan Kendra 15 Yangtey GPU, Yangthang Constituency. The work details are given below:

SI. No.	Name of Work	Name of GPU/Ward	Estimated Cost	TDR @ 2.5%	B.R. towards cost of tender document	Completion Time
1.	Construction of 3 R/S/B at Govt. Primary School Kabithang under Yangthang Constituency in Gyalshing District.	15 Yangtey GPU, Lower Yangtey Ward no 2	Civil Works : ₹ 33,80,821/- Electrification : ₹ 3,20,000/- Total: ₹ 37,00,821/-	₹ 92,520/-	₹ 2500/-	18 months

#### Time Schedule:

- Cost of Tender dorm Rs. 2500/- each, Non-Refundable against head of **GP Internal revenue Receipt Account No.: 2812201240202094/Internal Account/13 Yangtey GPU/SBS/Gyz**
- Issue of Tender form on : 04/01/2022
- Submission of Tender form : 06/01/2022 at 1.30 PM
- Date of tender & Opening of tender document as on 06/01/2022 at 2 pm.

#### General Condition of Contract:

- The Intending Contractors should apply in writing for the issue of tender Documents. The application should invariably be signed by the contractors himself/herself. The tender documents will not be issued to the person other than the **INTENDING TENDERS/ CONTRACTORS**. The application shall be submitted for the work listed above with all the required documents enclosed.
- Tender is open only to the eligible Contractors of the appropriate Class within the Gram Panchayat Unit-Ward.
- The Intending Tenderers/Contractors are requested to obtain the bank receipt towards the cost of tender form (Non-Refundable), as indicated in the above table and deposit the amount under **2812201240202094/Internal Account/13 Yangtey GPU/SBS/Gyz**.
- The application for issue of tender form shall be enclosed with the Bank Receipt towards the cost of tender documents as specified above the attested copies of (a) Latest GST registration Certified (b) Attested copy of COI (c) Validated/Updated copy of Contractor Enlistment Certificate (d) PAN Card (e) Aadhar Card copy.
- The prescribed non Transferable Tender document (Excluding the Tender Form) can be obtained during the period specified above from the **15 Yangtey GPU** towards the cost of tender document (Non-Refundable).
- Earnest Money (E.M.) 2.5% duly deposited in State Bank of Sikkim shall be in the form of T.D.R. in favor of **Sr. Accounts Officer, Education Department, Government of Sikkim, Tikjuk, Gyalshing, Sikkim**. Tender form will be issued only on the production of the TDR. As prescribed to those who have obtained the tender Documents. Women Contractors are exempted from depositing 2.5% TDR as per Notification No. 104/R&B dated 08/10/2020. As per notification, in such case of tender being accepted, the lowest bidder within (enlisted women contractor) has to deposit the earnest money at the rate of 2.5% of the estimated cost put to tender before the issue of work order.
- The Tender document including the tender form with the quoted offer should be placed in sealed cover with the name of the tenderer and the name of the work written on it. Supporting documents listed at Sl. No. 4 (a), (b), (c), (d) and (e) above should be enclosed.
- Sealed Tender may be deposited in the tender box in the Office of **15 Yangtey GPK, Gyalshing District**. Sikkim on the date and within the time indicated above.
- Tender will be opened by the tender opening committee in presence of the tenders on the date and time indicated.
- The tenderers should sign on every page of the tender documents as acceptance of the General Directions and Condition of the Contract and other laid down norms. The rate quoted should be both in Figures and in words and should be inclusive of GST. Over writing and correction should be avoided and if it occurs, should be authenticated with initials/Signature of the Tenderer. Incomplete/Conditional Tender shall be rejected forthwith.
- In case of any discrepancy in rate (s) printed in the schedule o Rates and Quantity issued with the tender documents, the rates as per approved standards Schedule of Rates will be taken as correct. For items outside SOR. The rates shall be as per the technically checked and approved estimate/analysis.
- The work shall commence within 7 days from the issue of work order and no extension of time shall be granted.
- The Department reserves the right to alter the quantity and items of the work as well as the total cost of the work during the execution of work.
- This NIT shall be the part of the Agreement.
- The Department reserve the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason thereof.











